अनुसूची 14 फारम संख्या 552

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक रामलखन राय .... प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष नारायण मंडल वगैरह .... द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या .... 153 सन् 2021

धारा 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05/05/21	आवेदक रामलखन राय पे० स्व० आनंद राय ग्राम - लैदा थाना - गिरिडीह, जिला - गिरिडीह द्वारा द० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा लुकैया खाता सं० 2/1 तथा 2/7 प्लॉट सं० - 24, रकबा - 52 डी० चौ० उ० - सड़क, द० - नीज, पु० + प० - नीज में भूमि विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच / प्रतिवेदन अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी बिरनी से माँगी। अभिलेख दि० - 16/05/21 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 5/5/21 अनु० पु० प० बगोदर - सरिया (हस्ताक्षर) 5/5/21 अनु० दं० प० बगोदर - सरिया	304 05/05/21

		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16/07/21	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी/ थाना प्रभारी बिरनी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दि० - 30/07/21 को पुनः उपस्थापित करें। अनु० पदा० बगोदर - सरिया	
30/07/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष से आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त भूमि को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है। प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त आवेदन के माध्यम से बतलाया है कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है जिससे उस क्षेत्र में शांति भंग खून खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा क्षेत्र में	

और तारीख		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही आवश्यक है

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द० प्र० सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 31.10.14 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

अनु० [signature]
बाँगोदर - सरिया

अनु० [signature]
बाँगोदर - सरिया

और तारीख		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21/10/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित To 28/10/21 21/10	
28/10/21	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित अभिलेख 18/11/21 को पेश हो। अनु० [illegible]	
18/11/21	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा निषेधाज्ञा के उल्लंघन हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। थाना प्रभारी [illegible] से प्रतिवेदन मांगे। To 25/11/21 18/11	
25/11/21	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। [illegible] प्रथम पक्ष के आवेदन पर [illegible]। आवेदन का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी [illegible] थाना प्रभारी से प्रतिवेदन [illegible]	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	की 5/ई में आपत्ति तक अप्राप्त है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर विवाद नहीं है। पुनः [illegible] जमीन के सीमांकन हेतु जो आवेदन अंचल अधिकारी के समक्ष दाखिल किया गया था, किन्तु अस्वीकृत कर दिया गया। अतः उपर्युक्त विवेचना के आलोक में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है तथा निम्न न्यायालय के आदेश को [illegible] पुनः [illegible] जाता है। [illegible signature] 25/11/21	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.12.01 14:34:04 +05:30
Location: 192.168.43.238